न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

तारीख निर्णय
18-5-26

मु.न. 09/2025 तारीख रजु 09/05/2025

1 नाथूराम पुत्र ऊँकार --मृतक--
1/1 केशर बेबा नाथूराम
1/2 भागचन्द पुत्र नाथूराम
1/3 कमलेश पुत्र नाथूराम
1/4 जितेश पुत्र नाथूराम
(1/1 से 1/4) जाति कोली निवासी खेडा बाढरामगढ़ तहसील गंगापुर सिटी
1/5 माया पुत्री नाथूराम पत्नि स्व0 रमेश चन्द जाति कोली निवासी अलूदा तहसील नादौती जिला करौली
1/6 पूजा पुत्री नथूराम पत्नि दशरथ जाति कोली निवासी जस्टाना तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर

--सायलान--

बनाम

1 रामप्यारी पत्नि बजरंगा जाति खटीक निवासी खेडा बाढरामगढ
2 मोहन पुत्र बजरंगा --मृतक--
2/1 किशोरी बेबा मोहन
2/2 सोनू पुत्र मोहन,
(2/1 व 2/2) जाति खटीक निवासी खेडा बाढरामगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/3 रवि आयु 19 साल पुत्र मोहन
2/4 सनी आयु 21 साल पुत्री मोडन
2/5 मधु आयु 17 साल पुत्री मोहन
2/6 चिन्टू आयु 15 साल पुत्र मोहन
(2/3 से 2/6) जरिये नाबालिग संरक्षिका किशोर बेबा मोहन निवासी खेडा बाढ रामगढ तहसील गंगापुर सिटी
3. राजेश पुत्र बजरंगा
4 जगदीश पुत्र बजरंगा
5 सेठी पुत्र बजरंगा
6 संजय पुत्र बजरंगा
(3 से 6) जाति खटीक निवासी खेडा बाढरामगढ तहसील गंगापुर सिटी

--गैरसायलान--

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

स्थितः- श्री बृजनन्दन दिक्षीत एडवोकेट सायल की ओर से
श्री के के उपाध्याय एडवोकेट गैरसायलान की ओर से

निर्णय

सायल ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवानी दावा सायल ने अदालत हाजा में पेश कर दिया है, जिनमें कामयाबी की पूर्व उम्मीद है। ग्राम का खेडा बाढरामगढ तहत तहसील गंगापुरसिटी में आराजी हाल बन्दोवस्त खसरा नं0 1577 रकबा 44 ऐयर स्थित है। जिसका कि इन्द्राज बातेदारी जमाबंदी सं0 2059 लगायत 2062 में नाथूराम पुन उँकार व जगन्या पुत्र हरवन्द कोली के नाम दर्ज है। नाथूराम सायल व जगन्या उक्त भूमि बतरा नं0 1577 रकबा 44 ऐयर के सह खातेदार रहे है। जिल्में सायल नाथूराम अपना हिसा मुताविक भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर भूमि व फसल से मुस्तहक होता चला आ रहा है व लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। जगन्या का इन्तकाल हो चुका है, उनके पुत्र पून्या सुवालाल, प्रतिपाल है व मिश्री उसकी बेवा है तथा नमो, पप्पू, हीरा जगन्या का लडका धन्या जिसका कि इन्तकाल हो चूका है, उसके वारिस है। आराजी हाल बन्दोपन्त खतरा नं0 1577 रकबा 44 ऐयर ते गैरसायलान का किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है न रहा है। गैरसायलान नं0 1 गांव की मुखिया होने के कारण उसकी राह पर गैरसायलान नं0 2 लगायत 6 एक राय होकर गैरसायलान नं0 1 के बड़े अनुसार कायम को परेशान करते है। भूमि मुतदाविया को काश्त नहीं करने देते है। काश्त करदे तो उसको उलेट देते है इस प्रकार गैरसायलान नं0 1 लगायत 6 ने अपना एक गिरोह बना रखा है और सायल को उसकी खातेदारी कब्जे की भूमि से लाभान्वित नहीं होने देते है। सायल ने भूमि मुतदाविया में फसल बाजरा काश्त की, जिसको कि जबरन गैरसायलान नं0 1 लगायत 6 ने उलेट दी। और उसमें जोत लगादी। इस प्रकार सायल को उसकी फसल से महरूम दिया और आनंदा फसल काश्त करने के लिये सायल को पुनः उसमें जुताई करनी पडेगी। गैरसायलान ने सायल को धमकी दी कि भूमि व फसल ते मुस्तहक नही होने देगें। तुमको करना हो तो करो

यही वजह सायल को यह दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करनी आवश्यक हुई। गैरसायलान का अपनी फैल बेजा हरकतो से उस समय तक बाज आना नामुमकिन है, जब तक कि गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही फरमा दिया जायेगा। गैरसायलान को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी हाल बन्दोबस्त खतरा नं0 1577 रकबा 44 ऐयर वाके ग्राम का खेडा बाढ रामगढ तहसील गंगापुरसिटी सायल के कब्जे, काश्त उपयोग व उपभोग भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं देवें न किसी अन्य से दिलावें। न ही जबरन भूमि में प्रवेश करें न ही डोल मेंड को फैलायें। गैरसायलान का एक गिरोह बना हुआ है। गांव इनसे प्रत्येक व्यक्ति भयभीत व आंतविश है। सायन को दिनांक 15-8-05 को धमकी दी की भूमि मुतदाविया पर गया को जान से मार दें और नहीं करने दें, फसल को पेट दें। सायल इसके बावजूद भी अपने कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि भुवदा किया पर गया तब गैरसाय्लान ने एक राय होकर भूमि मुतदाविया पर आ गये और सायल को आनी बाजरे की फसल को नहीं संभालने दी और उतको नष्ट करने पर आमादा हो गये व मुश्किल सायल पहा से बचकर आया। इसके बाद सायन को गांव में भी आकर घेर लिया और डराने धमकाने को किस पर गया तो जान से मार दें और ज्यादा करेगा तो गांव से ही निकाल दें। वही वजह सायल को यह दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करनी आवश्यक हुई। सायल का प्राईमा फैसी केस पूर्णतया सावित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के ही पक्ष में है। यदि गैरसायलान को जरिये अन्यायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य मे संभव नही है। अतः दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला दावा इस अमर के लिये पाबंद फरमाया जायें कि आराजी हाल बन्दोपन्त बतरा नं0 1577 रक्वा 44 ऐयर में व हिस्सा मुताबिक का मौका 1/2 बराबर 22 ऐयर के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग भूमि वाके ग्राम खेडा बाढ रामगढ तहसील गंगापुर सिटी में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं देवें न किसी अन्य से दिलायें न ही जबरन भूमि में प्रवेश करें न ही डोल मेड फैलाये।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में सायल ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2059-62 की फोटो प्रति व ट्रेस नक्सा फोटो प्रति ग्राम रामगढ मुराडा पेश की है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर गैरसायलान 1 ता 6 की ओर से श्री के0के0 उपाध्याय एडवोकेट उपस्थित हूए।

गैरसायलान की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि नाथूलाल पुत्र उँकारया द्वारा लगभग 18 साल पहले गैरसायलान संख्या 1 ता 6 को विक्रय की जा चूकी है। एवं तभी से गैरसायलान का कब्जा है सायलान का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। सायल नाथूराम द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1577 रकबा 44 ऐयर लगभग 18 वर्ष पहले गैरसायलान के पिता बजरंगा को 45,000/-रूपये मे विक्रय कर दिया था तभी जमीन पर कब्जा संभला दिया तथा तभी से शान्तिपुर्वक स्व0 बजरंगा के जीवनकाल मे बजरंगा व तत्पश्चात् गैरसायलान संख्या 1 ता 6 काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान मे उक्त भूमि मे पडाव कर सरसो की फसल काश्त कर रखी है। इससे पूर्व तिल्ली की फसल काश्त की थी। आराजी खसरा नम्बर 1577 रकबा 44 ऐयर पर पिछले 18 वर्षो से गैरसायलान का ही कब्जा काश्त है सायल का उक्त भूमि पर कोई ताल्लुक वास्ता नही है। सायल का काश्त करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। सायल ने उक्त भूमि पर कोई काश्त नही की है। इसलिये उलेटने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। गैरसायलान ने सायल को कोई धमकी नही दी है। महज गलत दावा टी0आई0 पेश करने की गरज से झूठे तथ्य अंकित किये है। जब सायल द्वारा 18 वर्ष पूर्व उक्त भूमि को विक्रय कर दी गई तो उसके पश्चात् सायल का फसल काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। विधी अनुसार 12 वर्षो से अधिक समय तक कब्जा नही रहने की स्थिती मे सायल के खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चूके है। सायल का प्राईमाफैसी केस सावित नही हे। बल्कि प्राईमाफैसी केस गैरसायलान का सावित है एवं विधी का संतुलन भी गैरसायलान के पक्ष मे है। गैरसायलान का उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन

है, उक्त आधार पर भी सायल के अधिकार समाप्त हो जाते है एवं गैरसायलान को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार हो गये है अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुये निवेदन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1577 रकबा 0.44 है0 ग्राम खेडाबाढ रामगढ मे सायल का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिसके समर्थन मे सायल ने जमाबन्दी सम्वत् 2059-62 पेश की है तथा कथन किया है कि गैरसायलान को उक्त भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नही है। गैरसायलान सायल को भूमि से लाभान्वित नही होने देते। प्राईमाफैसी केस सायल का सावित है तथा सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे है इसलिये गैरसायलान को दावे के निर्णय तक सायल के हिस्से की भूमि मे दखलनदांजी नही करने के लिये पाबन्द फरमाया जावे।

वकील गैरसायलान ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया कि उपरोक्त विवादित भूमि को सायल व सायल के भाई जगन्या ने मुकदमा करने से 15 वर्ष पूर्व सम्पर्ण भूमि को स्व0 बजरंगा को विक्रय कर विक्रय राशि 45,000/-रूपये लेकर कब्जा बजरंगा को करा दिया तभी से इस भूमि पर गेरसायलान का लगातार कब्जा चला आ रहा है। जगन्या के वारिस ईमानदार है इसलिये उन्होने कोई उज्र नही किया परन्तू सायल की नियत बदल चूकी है जमीन के भाव बढ जाने के कारण उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। बजरंगा के जीवनकाल मे रजिस्ट्री नही करायी तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त गैरसायलान के कहने पर भी रजिस्ट्री नही करवायी विवादित भूमि पर गैरसायलान 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है। गैरसायलान एडवर्स पजेशन के आधार पर भूमि के खातेदार हो चूके है। सायल का भूमि से कोई वास्ता नही इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली व उसमे उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि भूमि की खातेदारी सायलान के

बुर्जगान नाथूराम पुत्र उँकारया व जगन्या पुत्र हरचन्दा के नाम दर्ज है तथा
भूमि का विभाजन नही हुआ है पत्रावली मे सायल के प्रार्थना पत्र व
गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब मे प्रतीत होता है कि सायलान के बुजुंग
नाथूराम व जगन्या द्वारा विवादित भूमि को गैरसायलान के बुजुंग बजरंगा को
विक्रय कर स्वयं द्वारा भूमि पर कब्जा संभलाया तथा मौके पर गैरसायलान
का कब्जा सायल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के
अवलोकन से प्रतीत होता है। सायल द्वारा गैरसायलान का कब्जा नही होने
के सम्बन्ध मे कोई सबूत व गवाहान के व्यक्ति को जिसका भूमि पर लम्बे
समय से कब्जा काश्त है। तथा उक्त कब्जा भूमि के खातेदार द्वारा ही दिया
गया है। तो उसे पाबन्द किये जाने पर अधिकारो के विरूद्ध होगा तथा
प्रकरण मे प्राईमा फैसी केस सायल के पक्ष मे न होकर गैरसायलान के
पक्ष मे है एवं सुविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष मे ही प्रतीत होता
है और यदि गैरसायलान को पाबन्द किया गया तो क्षतिपूर्ति भी सायल को
न होकर गैरसायलान को होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने
योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.5.26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)